प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 801/2023 दिनांक 3/11/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट : – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. : –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं : –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 41 समय 4:00 P.M.
(2) अपराध के घटने की दिनांक 09.11.2023, 14.11.2023 एवं 29.11.2023
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 07.11.2023 समय 04.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम दिशा, लगभग 310 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ के पंचायत भवन का कक्ष
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री दिनेश तिवाडी
(2) पिता का नाम : श्री नन्द लाल तिवाडी
(3) आयु : 43 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : खेंती
(7) पता : निवासी ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल पुत्र श्री श्याम लाल सुखवाल उम्र 38 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ हाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	2,40,000 रूपये	

परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ द्वारा उसके कब्जे शुदा प्लाट का पट्टा देने की एवज में कुल 3,40,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 07.11.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.11.2023, 14.11.2023 एवं 29.11.2023 को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 09.11.2023

को सत्यापन वार्ताओं के दौरान आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से उसके कब्जे शुदा प्लॅाट का पट्टा देने की एवज में 3,40,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई तथा पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2023 को 40,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त करना तथा पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 29.11.2023 को 60,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त की गई तथा शेष रिश्वत राशि बाद में देना तय हुआ । आरोपी श्री संयय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 01.12.2023 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करते हुए परिवादी से शेष 2,40,000 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ द्वारा अपनी मांग अनुसार प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 2,40,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चित्तौडगढ

विषय : – कानूनी कार्यवाही करवाने के सम्बध में।

महोदय,

में प्रार्थी दिनेश तिवाडी पुत्र नन्द लाल तिवाडी निवासी जाडाना ग्राम पंचायत जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ मेरा निवेदन है कि मेरे गांव में गिलो का खेडा वार्ड न0 9 में मेरा घर है मेरे घर के सामने आबादी भूमी जिस पर मेरे पिताजी के समय से ही करीब 40 वर्षो से कब्जा है जिसकी साईज करीब 30X45 वर्ग फिट है उक्त जमीन पर मेरी अनुपस्थिती में गांव जडाना के संरपच सन्जु सुखवाल ने जेसीबी से पेड गिरा कर कब्जा हटाया गया बाद में संरपचं साब से मिला उनको बताया की ये जमीन मेरे पिताजी के टाइम से कब्जे में है आप जो नियमानुसार हो वो शूल्क लेकर मेरे नाम से पट्टा जारी कर दो जिस पर संरपच ने गाली गलोच की और कहने लगा यहा पर पट्टा लेना है तो 250 रूपये वर्ग फिट से हिसाब से पैसा देना पडेगा इसके लिये 337500 तिन लाख सेंतीस हजार पांच सौ रूपये बनेगें ग्राम पंचायत कि एक लाख रूपयें की रसीद मिलेगी। संरपच साहब पट्टा जारी करने के लिये 237500 रूपये रिश्वत के मांग रहे है। मैं सरपंच साहब को रिश्वत राशि देना नही चाहता हु मेरी संरपच साहब से दुश्मनी नही है नही कोई लेन देन बाकी है कानूंनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी
एस.डी. /–
दिनेश तिवाडी
9610114277

दिनाक 07.11.2023

कार्यवाही पुलिस

आज दिनांक 07.11.2023 को समय करीब 04.00 पीएम पर परिवादी उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ हाजिर है प्रार्थी ने बताया की मेरे घर के सामने गांव जाडाना में 30X45 का प्लाट है जिस पर हमारा 40 वर्षो से कब्जा है गांव के संरपच इस पर हमारा अवेध कब्जा बताकर इसे खाली करना चाहता है मेने पट्टे की मांग की तो रिष्वत मांग रहा है मेरे इस प्लाट मेसें पेड काटने और बबुल काटने, पोल तोडने तथा मेरी पत्नि के साथ संरपच द्वारा की गई हाथापाई की

रिपोर्ट भी मेने थाना राशमी में 16.10.23 तारीख को की थी, संरपच संजय/संन्जु सुखवाल मेरे को पट्टा देने के लिये 237500 रूपये रिश्वत मांग रहा है जबकी गांव में DLC रेट 69 रूपये प्रति स्कावयर फिट है । रिपोर्ट का अवलोकन किया गया परिवादी को सूना गया मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेन देन का है, मांग सत्यापन किया जाना आवश्यक है कानि0 मान सिहं 571 का परिवादी से परिचय करवाया आपस मे मोबाईल नम्बर शेयर करवाये जा कर अग्रीम कार्यवाही हेतु हिदायत दी गई, संरपच आज गीताम्जली अस्पताल उदयपुर गया हुआ है, आते ही आपको अवगत करा दूंगा ।

इसके उपरान्त दिनांक 09.11.2023 को समय करीब 09.00 ए.एम पर श्री मान सिहं 571 कानि0 ने बताया की मेरी परिवादी से फोन पर वार्ता हुई है, मेरे को अपने गांव जडाना बुलाया है, मालखाने से प्रभारी श्री श्याम लाल से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर श्री मान सिहं को सुपूर्द कर विशेष हिदायत देकर अग्रीम कार्यवही हेतु रूखसत किया । इसके उपरान्त समय करीब समय 02.00 ए.एम. पर श्री मान सिहं कार्यालय में उपस्थित है टेप रिकार्ड लाकर पेश किया मानसिहं ने बताया की मै 10.30 बजे ग्राम जडाना पंहुच गया था परिवादी से मुलाकात कर उसे समझाइस कर डीवीआर सोंप दिया था , तभी वहां संरपच परिवादी के विवादग्रस्त प्लाट पर आ गया था, मै परिवादी के घर में जो प्लाट के सामने ही है मै छुपकर खिडकी से देख रहा था लगभग 11.10 एएम से 11.30 एएम के मध्य परिवादी और आरोपी के मध्य रिश्वत राशि तथा कार्य के सम्बध में वार्ता हुई है जिसे डीवीआर में रिकार्ड कर लिया गया है परिवादी ने मानसिहं को बतांया की रिश्वत की मांग की है, परिवादी ने बताया की उसने संरपच को बोल दिया है आप पट्टा बनाओ, जैसे ही पट्टा तैयार हो बता देना मै रूपये दे दूंगा जो आप मांग रहे हो । परिवादी भी कार्यालय में हाजिर है उसे सूना गया उसने बताया की पहले तो संरपच मेरे से बहुत नाराज हुआ फिर बोला की 250 रूपये प्रति वर्ग फिट से पट्टा बना दूंगा । लाख रूपये की रसीद दूंगा। तत्पश्चात् डीवीआर को सूना गया परिवादी की बात सत्य पाई गई डीवीआर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया परिवादी को रिश्वत राशि का प्रबन्ध करने तथा गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया ।

इसके उपरान्त दिनांक 14.11.2023 को समय करीब 10.00 ए.एम. पर श्री मान सिहं कानि0 नम्बर 571 ने बताया की मेरी अभी 30–40 मिनट पहले परिवादी से वार्ता हुई उसने मेरे को अभी गांव बुलाया है, मालखाना प्रभारी से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर श्री मानसिहं को सुपूर्द किया और रवाना किया । तत्पश्चात् समय क़रीब 05.00 पी.एम. पर श्री मानसिहं पूनः कार्यालय में हाजिर है श्री मानसिहं ने बताया की मै 12.30 बजे ग्राम जडाना पंहुच गया मेरे को परिवादी उसके घर पर मिल गया परिवादी ने बताया की, आज सुबह संरपच मरे को मिला और बोला की कुछ एडवान्स साई पेटे दो तभी काम शूरू करेगें, इसलिये ही मैनें आपको तुरन्त बुलाया है। इस पर परिवादी के घर से ही डीवीआर चालू कर परिवादी को सुपूर्द किया और ग्राम पंचायत जाडाना पहुंचे, मै बाहर ही खडा हो गया परिवादी अन्दर गया परिवादी ने सरपंच से मुलाकात कर ली, संरपच ने रूपये बाबत् ईशारा किया तो परिवादी ने रूपये पेश किये, आरोपी संरपच ने पुछे किते है परिवादी ने कहा 40 है, बाकी रूपयों की व्यवस्था होने पर पट्टा देने की बात की है, डीवीआर को सूना गया आरोपी ने 40 हजार रूपये बतौर मोटीव रिश्वत राशि ग्रहण कर ली है शेष दो–चार दिनो मे देने और पट्टा देने के बारे में संरपच बोल रहा है, डीवीआर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया, ग्राम जाडाना की डीएलसी रेट मंगवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई, अग्रीम कार्यवाही परिवादी द्वारा रिश्वत राशि दिये जाने पर जो की दिनाक 17.11.2023 को होगी की जावेगी।

इसके उपरान्त समय करीब 09.50 ए.एम. पर कानि0 श्री मान सिंह ने बताया कि परिवादी से वार्ता हुई है वह बोल रहा है पैसो का प्रबंध कर रहें है जो रिष्वत में दिये जाने है। इसके बाद समय करीब 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री दिनेश तिवाडी कार्यालय मे हाजिर है परिवादी ने बताया कि वह रिश्वत राशि की व्यवस्था नही कर पाया है तथा आरोपी ने भी विधानसभा चुनाव बाद पट्टा देने को कहा है। ऐसी स्थिति मे अग्रिम कार्यवाही विधानसभा चुनाव के बाद में ही की जायेगी क्योंकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित समस्त स्टाफ की विधानसभा चुनाव मे ड्यूटी है। जो 20.11.2023 से 26.11.2023 तक चलेगी और अभी 18–19

[redacted]

नवम्बर को शनि रवि का अवकाश है। पत्रावली सुरक्षित रखवाई और परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया ।

इसके उपरान्त दिनांक 29.11.2023 को समय करीब 10.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाद विधानसभा चुनाव के ओ.पी. पर हाजिर हुआ । कानि0 मान सिंह ने बताया जैसा कि आप से (अर्थात मेरे से)दिन में हुई टेलीफोन वार्ता के अनुसार परिवादी श्री दिनेश का फोन आया था। जिसमें उसने बताया की सरपंच सन्जय उर्फ संजू ने परिवादी को बुलाया है। जिस पर मैं परिवादी के साथ डी.वी.आर लेकर गया परिवादी ने घबरा के सरपंच को 60000 रूपये ओर दे दिये यह मुलाकात ग्राम पंचायत जडाना में दिन में लगभग 03.00 पी.एम पर हुई । वार्ता रिकॉर्ड की गई है। मालखाना प्रभारी से डी.वी.आर मंगवाया जा कर सुना गया आरोपी द्वारा 60000 रूपये ओर लेने के तथ्य की पुष्टी हुई शेष रकम 30 या 01 तारीख को देने की ताकीद आरोपी ने की है डी.वी.आर पुनः सुरक्षित मालखाने में रखा गया परिवादी मुताबिक वार्ता दिनांक 01.12.2023 को प्रातः 09.00 ए.एम बजे कार्यालय में मय रिश्वत राशि हाजिर हो जायेगा तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक 01.12.2023 को समय करीब 08.50 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री दिनेश तिवाडी अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया जिसे कार्यालय मे बैठाया गया । इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछा कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है क्या ? जिस पर परिवादी ने बताया कि मैनें आरोपी को देने के लिये में 2,40,000 रूपये की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ली है और मैं उसको यह राशि दूंगा और वो ले लेगा, क्योंकि दौराने मांग सत्यापन उसने राउण्ड फिगर में 2,40,000 रूपये भी लाने के हेतु मांग की थी इसलिये मैं आज 2,40,000 रूपये लेकर आया हूं । आप कार्यवाही करावें इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई । तत्पश्चात् समय करीब 09.00 ए.एम. पर पूर्व जरिये दूरभाष तलवीदा गवाहान के रूप में दो व्यक्ति ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिसमें से एक गवाह ने अपना परिचय डॉ. मनोज पुरोहित पुत्र निर्मल कुमार जाति ब्राहाम्ण उम्र 34 निवासी ग्राम देवपुरा थाना जावदा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ हाल चिकित्साधिकारी मण्डफिया अतिरिक्त चार्ज उप मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी चित्तौडगढ। मोबाईल नम्बर 96729–24177 होना बताया एवं दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री सूरेश चन्द्र रेगर पुत्र श्री हेमराज जाति रेगर उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम रोलाहेडा थाना चन्देरिया तहसील एंव जिला चित्तौडगढ हाल नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र अभयपुर जिला चित्तौडगढ। मोबाईल नम्बर 70149–01825 होना बताया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी अपना परिचय दिया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान डॉ. मनोज पुरोहित एवं श्री सूरेश चन्द्र रैगर से परिवादी श्री दिनेश तिवाडी का आपस मे परिचय करवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु दोनो गवाहानों से मौखिक सहमती प्राप्त की गई । इसके उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक 07.11.203 को ब्यूरो कार्यालय मे पेश की गई रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने भी शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया । परिवादी की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाई जाकर दिनांक 09.11.2023, 14.11.2023 एवं 29.11.2023 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ताओं के प्रमुख अंशों को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई । उक्त गवाह की तलबी के सम्बन्ध में जारी शुदा पत्र क्रमांक 2223 दिनांक 01.12.2023 को श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में देने हेतु श्री श्याम लाल हैड कानि0 को भेजा गया ।

इसके उपरान्त समय करीब 09.15 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की उपस्थिति में दिनांक 09.11.2023 को समय करीब 10.58 ए.एम. पर परिवादी श्री दिनेश तिवाडी व आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता ग्राम जाडाना में परिवादी श्री दिनेश तिवाडी के घर के सामने सरकारी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय प्लोटिंग की हुई है वहां पर हुई वार्ता जो ब्यूरो कार्यालय के

डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री गान सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 10.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की उपस्थिति में दिनांक 14.11.2023 को समय करीब 01.51 पी.एम. पर परिवादी श्री दिनेश तिवाडी व आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता ग्राम पंचायत जाडाना पर हुई वार्ता जो ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री गान सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 12.40 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की उपस्थिति में दिनांक 29.11.2023 को समय करीब 02.54 पी.एम. पर परिवादी श्री दिनेश तिवाडी व आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता ग्राम पंचायत जाडाना पर हुई वार्ता जो ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री गान सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तीनों रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं में उपयोग लिया गया मेमोरी कार्ड ADATA कम्पनी का डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया । मेमोरी कार्ड जब्ती एवं डबिंग पेन ड्राईव एवं सीडी की कार्यवाही समय का अभाव होने से पृथक से ट्रेप कार्यवाही उपरान्त सम्पन्न की जावेगी ।

इसके उपरान्त समय करीब 01.35 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री संजु सुखवाल सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ, को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री दिनेश तिवारी को पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री दिनेश तिवारी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 480 नोट . कुल 2,40,000/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिस पर उक्त कुल राशि 2,40,000/–जिनके नम्बर निम्नानुसार है : –

क्र. सं.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509001
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509002
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509003
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509004
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509005
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509006
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509007
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509008
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509009
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509010
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509011
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509012
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509013
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509014
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509015
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509016
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509017
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509018
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509019

20.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509020
21.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509021
22.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509022
23.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509023
24.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509024
25.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509025
26.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509026
27.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509027
28.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509028
29.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509029
30.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509030
31.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509031
32.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509032
33.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509033
34.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509034
35.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509035
36.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509036
37.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509037
38.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509038
39.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509039
40.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509040
41.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509041
42.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509042
43.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509043
44.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509044
45.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509045
46.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509046
47.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509047
48.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509048
49.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509049
50.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509050
51.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509051
52.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509052
53.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509053
54.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509054
55.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509055
56.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509056
57.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509057
58.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509058
59.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509059
60.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509060
61.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509061
62.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509062
63.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509063
64.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509064
65.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509065
66.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509066
67.	500 रुपये का एक नोट नंबर	0VK509067

68.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509068
69.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509069
70.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509070
71.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509071
72.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509072
73.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509073
74.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509074
75.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509075
76.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509076
77.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509077
78.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509078
79.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509079
80.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509080
81.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509081
82.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509082
83.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509083
84.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509084
85.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509085
86.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509086
87.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509087
88.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509088
89.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509089
90.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509090
91.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509091
92.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509092
93.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509093
94.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509094
95.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509095
96.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509096
97.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509097
98.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509098
99.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509099
100.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509100
101.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509101
102.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509102
103.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509103
104.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509104
105.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509105
106.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509106
107.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509107
108.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509108
109.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509109
110.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509110
111.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509111
112.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509112
113.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509113
114.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509114
115.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509115

116.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509116
117.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509117
118.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509118
119.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509119
120.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509120
121.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509121
122.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509122
123.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509123
124.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509124
125.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509125
126.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509126
127.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509127
128.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509128
129.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509129
130.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509130
131.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509131
132.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509132
133.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509133
134.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509134
135.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509135
136.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509136
137.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509137
138.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509138
139.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509139
140.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509140
141.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509141
142.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509142
143.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509143
144.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509144
145.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509145
146.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509146
147.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509147
148.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509148
149.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509149
150.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509150
151.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509151
152.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509152
153.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509153
154.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509154
155.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509155
156.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509156
157.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509157
158.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509158
159.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509159
160.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509160
161.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509161
162.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509162
163.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509163

164.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509164
165.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509165
166.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509166
167.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509167
168.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509168
169.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509169
170.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509170
171.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509171
172.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509172
173.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509173
174.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509174
175.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509175
176.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509176
177.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509177
178.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509178
179.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509179
180.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509180
181.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509181
182.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509182
183.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509183
184.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509184
185.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509185
186.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509186
187.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509187
188.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509188
189.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509189
190.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509190
191.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509191
192.	500 रूपयें का एक नोट नंबर	0VK509192
193.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509193
194.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509194
195.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509195
196.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509196
197.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509197
198.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509198
199.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509199
200.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK509200
201.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6EC106022
202.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AV231187
203.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AV231184
204.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7SQ695225
205.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7EL647497
206.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8WD661461
207.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5AT783999
208.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5KS642873
209.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KV890536
210.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2CS842597
211.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1KM469737

212.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WA928533
213.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GQ843537
214.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LT507340
215.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FE037129
216.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KS263019
217.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BR105827
218.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GU495427
219.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4ES241450
220.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7FN928531
221.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AE288408
222.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FB192605
223.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6ET465190
224.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1KG379306
225.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2EW585543
226.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3FS262675
227.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GF076451
228.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WA914422
229.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GB444538
230.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2AG980404
231.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7ET842905
232.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9CE958438
233.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6AR461093
234.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FD699846
235.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GL141780
236.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8CR095123
237.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1BQ064672
238.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GD663189
239.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1ST 604067
240.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4MS182653
241.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5AQ406188
242.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8DA691746
243.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6NG871602
244.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1BD498470
245.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BM481837
246.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2LP979729
247.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FK036837
248.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7AC072032
249.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0MG997202
250.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6FP910219
251.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RW144481
252.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2GK305795
253.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HM377704
254.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1TG302621
255.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VW911862
256.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5LW218024
257.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5CT487371
258.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4UM458540
259.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3DL759770

260.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8MD436993
261.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8HG510172
262.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GV120257
263.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WC070746
264.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8AL324782
265.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4RV459542
266.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4MV729395
267.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3AE360961
268.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FE310551
269.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CE041120
270.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5SR471854
271.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DQ234658
272.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3RC596547
273.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3WG115180
274.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6VD939569
275.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6ND186035
276.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GT125208
277.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5UK346863
278.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AC808824
279.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RB597221
280.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9SL605224
281.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GE987283
282.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AQ873407
283.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3KN413309
284.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GW071607
285.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9GD031518
286.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WQ221827
287.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GF625132
288.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WA957329
289.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WA957328
290.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7FV238981
291.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7RQ153215
292.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5AV506116
293.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3NF066156
294.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4GC775990
295.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9LT553734
296.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GQ996534
297.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QA257143
298.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9SD902879
299.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0CB408690
300.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9SQ355054
301.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0CQ558875
302.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UL362336
303.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3FU344051
304.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AK402182
305.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PP939876
306.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BL593069
307.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7VM501869

308.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5MA131052
309.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GM550726
310.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6NV774073
311.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0RB481104
312.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FP977516
313.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2GB914457
314.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7RB787080
315.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6VV093342
316.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2NQ342779
317.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2GV986878
318.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DK722626
319.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4VE714274
320.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2FL004060
321.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6BV422653
322.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5FW114800
323.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8CL521021
324.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2UD107454
325.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4QQ325511
326.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8HT891126
327.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7VQ819097
328.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6GV561766
329.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5NK219540
330.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0BN042554
331.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1TD035144
332.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1HE929824
333.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AD812323
334.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1PG501958
335.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BW656646
336.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7LC962843
337.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1KS727974
338.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KB184842
339.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9UT741331
340.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LV021356
341.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9WQ432962
342.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0UT782728
343.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TN837904
344.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5NN171762
345.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QA710311
346.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VB876250
347.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3CU304239
348.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7EN084534
349.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TD886398
350.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9BT690871
351.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3WG086358
352.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8VS630782
353.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5KQ232269
354.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6TF214737
355.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0CL257610

356.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6PL390680
357.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4NR175940
358.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4TF925793
359.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8SU816690
360.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0KK347266
361.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2ED923692
362.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MU697272
363.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CL572668
364.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5NB648886
365.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0MU990251
366.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LM000473
367.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0KU262820
368.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0FT415878
369.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5QV873884
370.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TQ749724
371.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4MH979176
372.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0FG368940
373.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AE837926
374.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3AH317577
375.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CW114332
376.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8BC576794
377.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2LD845995
378.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8WF031925
379.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DD614181
380.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4UM906381
381.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AL963028
382.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2MD352778
383.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BQ739777
384.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1UE525853
385.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FU201435
386.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4GN182140
387.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9MQ130229
388.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3ES306167
389.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2GF179345
390.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3TE670933
391.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5HB819764
392.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3KS437738
393.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4NN716554
394.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AL775422
395.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2QR032673
396.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5US695600
397.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2CN479523
398.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6MT047494
399.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1SS170206
400.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MR117764
401.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK397228
402.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KF498552
403.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6QN707903

404.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5SG823900
405.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6CF344387
406.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MW013851
407.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6FL613363
408.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3UR197745
409.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DV720162
410.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DV720151
411.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BS364314
412.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KB225152
413.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5DP016215
414.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AR931372
415.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7EK751604
416.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6CN253454
417.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SQ589759
418.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9RH013723
419.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4ML954315
420.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6WE217977
421.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7PQ898733
422.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9BV334037
423.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8EW884580
424.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6TV212196
425.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3KG125544
426.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FN975876
427.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1EF854262
428.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5DM874992
429.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1VA521413
430.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0AD608311
431.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1LN090611
432.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5MT910305
433.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HL000298
434.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0BR240675
435.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2NC033131
436.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4NM436392
437.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3CL777326
438.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0WP225115
439.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6EC493583
440.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9CQ237558
441.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3PC439526
442.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DQ057453
443.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8AC754253
444.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KM388015
445.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6GR336184
446.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2HG004293
447.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6WK116367
448.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0GB719130
449.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0KB230120
450.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5HM676208
451.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9FB804614

452.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4QS955015
453.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5EP171733
454.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9BP514576
455.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8AT806015
456.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2PF189508
457.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7AG167929
458.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5RQ097857
459.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0VK525861
460.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UE539791
461.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3KV832581
462.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GQ217063
463.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6KN124630
464.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3 RD191940
465.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0EC119120
466.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BS396999
467.	500 रूपये कां एक नोट नंबर	4AF728043
468.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7GU594326
469.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5VD192268
470.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2AE201140
471.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6UF054258
472.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PQ756617
473.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9CQ251152
474.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FH079629
475.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9NC449773
476.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5MP278504
477.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7CH771289
478.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6QN247659
479.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8ER944964
480.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4GQ564035

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 2,40,000/– रूपयें के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया । फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए नोटों को परिवादी श्री दिनेश तिवारी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री सुनिल कानि0 से ट्रेप बॉक्स में रखी एक प्लास्टिक कि डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया इस घोल मे कानि सुनिल कुमार के हाथ की अगुंलियां व अगुंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात इस घोल में श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 की अंगुलियों व अंगुठे जिस पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी जब परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है । उक्त गुलाबी घोल को

श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से बाहर नाली में फिंकवाया गया एवं अखबार व प्लास्टिक कि डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री संजु सुखवाल को उनकी मांग अनुसार 2,40,000/– रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने–अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादीगण तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दोनो हाथों को फैरने का निर्धारित गोपनीय ईशारा करने के सम्बन्ध में बताया तथा उक्त गोपनीय निर्धारित ईशारे के सम्बन्ध में दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों को समझाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री सागर मेडी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर जिसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ में रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता की रिकार्डिंग करने हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई तत्पश्चात मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखवाई गई तथा महिला कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने के सम्बन्ध में हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तीब कर दोनो परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई । उक्त कार्यवाही की फोटोग्राफी भी की गई जो शामील पत्रावली की गई ।

इसके उपरान्त समय करीब 02.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाह डॉ. मनोज पुरोहित मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण श्री श्याम लाल हैड कानि0 मय स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश चन्द्र रैगर एवं श्री मांन सिंह कानि0 एवं परिवादी श्री दिनेश तिवाडी को निजी मोटर साईकिल से बजानिब कार्यवाही हेतु ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ से आगे–आगे रवाना कर हम सभी रवाना हुए । तत्पश्चात् समय करीब 03.05. पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से अपने–अपने वाहनों के रवाना शुदा ग्राम जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ के पास पहूंचे जहां पर जिस पर सरकारी वाहन एवं निजी मोटर साईकिलों को साईड में खडा करवाकर परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने के सम्बन्ध में पुनः समझाईश करने के पश्चात् वाहनों को साईड में अलग–अलग खडा करवाने के उपरान्त परिवादी को कार्यालय ग्राम पंचायत समिति जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना कर हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण अपनी–अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादी के निर्धारित गोपनीय ईशारें के ईन्तजार में मुकीम रहें ।

इसके उपरान्त समय करीब 04.30 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 04.20 पीएम पर परिवादी श्री दिनेश चन्द्र तिवाडी पुत्र श्री नन्द लाल तिवाडी उम्र 46 निवासी जाडाना थाना राशमी जिला चित्तौडगढ ने ग्राम पंचायत परिसर के अन्दर ग्राम पंचायत कार्यालय के चैनल गेट के बाहर खडा होंकर निर्धारित ईशारा किया जिसे गवाह श्री सुरेश चन्द्र रेगर नर्सिंग आफिसर ने देखकर ग्राम पंचायत परिसर के मैन फाटक के बाहर खडे श्री मान सिंह कानि0 एंव श्री सूरज कानि0 को अन्दर आने का ईशारा किया तथा श्री मान सिंह कानि0 ने अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय

हमरायन अविलम्ब शिघ्रता तेज गति से चलते हुये ग्राम पंचायत परिसर पहुंचे तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने हाथ से ईशारा कर बताया की कार्यालय ग्राम पंचायत में सभा भवन के अन्दर सरपंच श्री संजय सुखवाल एवं उनके साथी भूतपूर्व सरपंच श्री रतन लाल खटीक बैठे है। अभी अभी मेरे से 2,40,000/– रूपयें की रिश्वत राशि मांग अनुसार सरपंच श्री संजय सुखवाल ने प्राप्त कर दो गड्डी स्वयं के पास और शेष गड्डीयां गिनने के लिये अपने साथी श्री रतन लाल खटीक को दिये है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाहान व हमराहीयान के साथ परिवादी को साथ लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के सभा भवन के अन्दर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुआ एवं एक व्यक्ति बिस्तर के सैट पर बैठा हुआ मिला। जिसमें से एक व्यक्ति ने जिन्स की पेन्ट व शर्ट के उपर जर्सी पहने हुए शाल ओढे हुए व दुसरे व्यक्ति ने पेन्ट शर्ट पहने हुए बिस्तर के सैट पर बैठा हुआ जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर कहा की चारपाई पर बैठा व्यक्ति सरपंच साहब संजय सुखवाल है एवं बिस्तर के सैट पर बैठा हुआ व्यक्ति भूतपूर्व सरपंच श्री रतन लाल खटीक है, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को स्वंय का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा चारपाई पर बैठे व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसनें अपना नाम संजय सुखवाल पुत्र श्याम लाल सुखवाल जाति ब्रहाम्ण उम्र 38 वर्ष निवासी जाडाना तहसील राशमी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ हाल सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ व बिस्तर सैट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रतन लाल खटीक पुत्र श्री लोभचन्द खटीक जाति खटीक उम्र 43 वर्ष निवासी जाडाना तहसील राशमी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ भूतपूर्व सरपंच होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच से परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से 2,40,000/–रूपये रिश्वत राशि के सम्बध में पुछा तो आरोपी सरपंच श्री संजय सुखवाल ने बताया कि मैंने तो श्री दिनेश तिवाडी से डीएलसी दर पर भूखण्ड साईज 30 गुणा 45 साईज कुल क्षैत्रफल 1350 वर्गफिट भूखण्ड प्रतिवर्ग फिट 70 /–रू की डीएलसी दर से कुल राशि 94,500/– रू. बनती है, मेरे को दिनेश जी तिवाडी ने दिनांक 14.11.2023 को 40,000/–रू. एवं दिनांक 29.11.2023 को 60,000/–रू. सहीत कुल राशि 1,00,000/–रू. दिये है। जो डीएलसी दर की राशि के हिसाब से लिये है, और आज दिनांक 01.12.2023 को 2,40,000/–रू. मुझे दिये जो खर्चे पानी के लिये है। मेरे से गलती हो गई है मुझे माफ कर दो, आईन्दा ऐसी गलती नही करूगां(आरोपी के मौके पर दिये गये स्पष्टीकरण की मेरे मोबाईल से विडियों ग्राफी मानसिंह से करवाई गई) जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सरपंच श्री संजय सुखवाल के कथनो के सम्बध में परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना श्री संजय सुखवाल द्वारा मेरे से मेरे घर के सामने स्थित भूखण्ड साईज 30गुणा 45 वर्गफिट कब्जाशुदा का पट्टा देने के लिये 3,40,000/–रू की मांग की तथा सरपंच ने कहा कि यदि रूपये नही देता है तो कब्जा हटाकर किसी और को पट्टा दें दूंगा जिस पर मैने दिनांक 07.11.2023 को सरपंच श्री संजय सुखवाल भ्रष्ट को रिश्वत राशि लेते हुए को पकडवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में दिनांक 07.11.2023 को उपस्थित होकर शिकायत पेश की जिस पर ब्यूरो कार्यालय द्वारा दिनांक 09.11.2023 को सत्यापन वार्ता मेरे व सरपंच श्री संजय सुखवाल के मध्य हुई एवं दिनांक 14.11.2023 को फिर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय के कार्मिक के साथ गया तब 40,000/–रू लियें एवं दिनांक 29.11.2023 को पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु गया था तब सरपंच ने 60,000/–रू. लेते हुए दो लाख चालिस हजार रू. की और मांग की गई मांग अनुसार आज जब मैं ग्राम पंचायत कार्यालय के पास गया तो सरपंच साहब श्री संजय सुखवाल एवं संदिग्ध भूतपूर्व सरपंच श्री रतन लाल खटीक दोनों साथ में ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर मिले जिनके साथ में ग्राम पंचायत कार्यालय जाडाना के अन्दर पहुचें और मुझे शेष राशि देने का ईशारा कर कहा तब मैने 500–500 रू. के नोटों की पांच गड्डीया जिसमें 50–50 हजार रू. की चार गड्डीयां व 40 हजार की एक गड्डी सहीत कुल राशि 2,40,000/–रू. मैने सरपंच श्री संजय सुखवाल के हाथों में थमाई तो मेरे सामने ही सरपंच साहब ने उक्त नोटों में से तीन गड्डीयां गिनने के लिये भूतपूर्व सरपंच श्री रतन लाल खटीक को देकर शेष दो गड्डीयों को स्वयं भी गिनने लगे। इतने

में मैं ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर आकर चैनल गैट के पास आकर गवाह श्री सुरेश चन्द्र को देखकर पूर्व निर्धारित सिर पर हाथ फरने का ईशारा किया फिर कुछ समय बाद आप सब मेरे पास आ गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षंक ने आरोपी श्री संजय सुखवाल के साथी संदिग्ध भूतपूर्व सरपंच श्री रतन लाल खटीक जो मौके पर उपस्थित है उनसे परिवादी एवं आरोपी श्री संजय सुखवाल द्वारा बताये गये उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में मे पूछा तो संदिग्ध श्री रतन लाल खटीक भूतपूर्व सरपंच ने बताया कि मुझे दिनेश जी तिवाडी से सरपंच साहब श्री संजय सुखवाल द्वारा किस बात के 2,40,000/—रू. लिये है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे तो सरपंच साहब ने श्री दिनेश तिवाडी से पैसा लेकर मुझे गिनने के लिए दिये थे जो मैं गिन रहा था इतने में आप लोग (ब्यूरो टीम) आ गये मुझे तो हकीकत का पता अब लगा है। जबकी डीएलसी दर से भूखण्ड की राशि एक लाख रूपये से भी कम बनती है। परन्तु सरपंच साहब ने दो लाख चालीस हजार रूपये अभी लिये जो मेरे सामने लिये है। और पूर्व में भी एक लाख रूपयें लिया जाना बताया जा रहा है, जो की कुल राशि तीन लाख चालिस हजार रूपये लिये गये है, जो गलत है। मुझे पूर्व में लिये गये एक लाख रूपये के सम्बन्ध में पहले से जानकारी नही है। मैं सरपंच साहब के कहने पर रूपयों को गिनरहा था, मेरा इस राशि से कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ कर दो। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से आरोपी श्री संजय सुखवाल एवं संदिग्ध भूतपूर्व सरपंच श्री रतन लाल खटीक के उपरोक्त कथनों के सम्बन्ध में पुनः पूछा तो परिवादी ने उपरोक्त कथनों की पुष्टी की गई। परिवादी ने बताया कि आपस में ये दोनों दोस्त है सरपंच के ठेकेदारी के कार्य ये ही करते है। जब मैने थाना राशमी पर रिपोर्ट दी थी तो सरपंच ने रतन लाल खटीक से मेरे खिलाफ धारा 3 एससी एसटी एक्ट की झूठी रिपोर्ट दिलाकर मुझे समझोते के लिये मजबूर कर दिया और मेरी चालिस वर्ष की कब्जे वाली जमीन पट्टा देने के लिये मेरे से जबरदस्ती रिश्वत मांग रहे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच से परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से दिनांक 14.11.2023 को राशि चालीस हजार रू. एवं दिनांक 29.11.2023 को राशि साठ हजार रू. सहीत कुल एक लाख रूपये प्राप्त किये जो कहां हैं बाबत् पूछताछ की तो श्री संजय सुखवाल सरपंच ने बताया उक्त एक लाख रूपये मेरे भाई राजेन्द्र सुखवाल के पास रखवाये हुए है। इस पर श्री राजेन्द्र सुखवाल के फोन पर कॉल करने का प्रयास किया किन्तु फोन नहीं लगा। आरोपी ने बताया कि बबलू के फोन पर बात करते है शायद राजेन्द्र उसके साथ ही होगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हैड कानि0 ओमप्रकाश के मोबाईल नम्बर 94602 02454 से आरोपी के मित्र श्री बबलू पारीक के मोबाईल नम्बर 8696575412 पर आरोपी के भाई श्री राजेन्द्र सुखवाल से वार्ता करवाई तो श्री राजेन्द्र सुखवाल ने कहा कि मैं उक्त एक लाख रूपये जो मेरे भाई सरपंच श्री संजय सुखवाल ने दे रखे है, जो मैं लेकर आ रहा हूं। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच को पूर्व में दिनांक 09.11.2023, 14.11.2023 एवं दिनांक 29.11.2023 को परिवादी श्री दिनेश तिवाडी एवं स्वयं के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को मौके पर ही सुनाई गई तो आरोपी श्री संजय सुखवाल ने अपनी आवाज होने की पुष्टी की तथा अपनी गलती होना स्वीकार किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त रिश्वत राशि में ग्राम सचिव का हिस्सा होने के सम्बन्ध में सरपंच श्री संजय सुखवाल से पूछा तो बताया कि उक्त राशि में ग्राम सचिव का कोई लेना देना नहीं है। सचिव साहब तो दिनांक 25.11.2023 से ही चुनाव ड्यूटी में चल रहे है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तथां श्री दिनेश तिवाडी को डीएलसी दर पर भूखण्ड देने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत जाडाना में कोई आवेदन एवं इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत के रिकार्ड पर नही है। अभी तक मेरे स्तर पर ही सारा काम अनरिकार्डेड है। उपरोक्त पुछताछ के दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से ऑडियों एवं विडियों व फोटोग्राफ लिये गये जो रिकार्ड पर रखा जावेगा। रिश्वत में लिये गये रूपयें जो कि एसीबी टीम के कक्ष में प्रवेश करते वक्त दो गड्डीयां (एक लाख रू.) संजय सुखवाल के हाथ में एवं शेष तीन गड्डीयां (एक लाख चालीस हजार रू.) श्री रतन खटीक के हाथ में है जो टेबल पर रखवई गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं आरोपी संजय सुखवाल हाल सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ एवं संदिग्ध

श्री रतन लाल खटीक भूतपूर्व सरपंच के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की गई स्वीकारोक्ति पर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारें में प्रमाणिकता हेतु सरकारी वाहन टवेरा मे से श्री शैर सिह कानि0 चालक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें चार साफ डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास निकलवाये जाकर कार्यालय ग्राम पंचायत जाडाना के सभा भवन में रखें पीने के पानी के केम्पर से पानी भरवाया गया। उक्त चारों डिस्पोजल गिलासों में श्री ओमप्रकाश हैड कानि0 से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो चारों डिस्पोजल गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक डिस्पोजल की गिलास के घोल में आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त धोवण का रंग गुलाबी होने से स्वतन्त्र गवाहान व उपस्थित हमराहीयान ने स्वीकार किया जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 अकिंत कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दुसरे डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त धोवण का रंग गुलाबी होने से स्वतन्त्र गवाहान व उपस्थित हमराहीयान ने स्वीकार किया जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH -1 व LH- 2 से अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तीसरे डिस्पोजल की गिलास के घोल में संदिग्ध श्री रतन लाल खटीक भूतपूर्व सरपंच के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त धोवण का रंग गुलाबी होने से स्वतन्त्र गवाहान व उपस्थित हमराहीयान ने स्वीकार किया जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क R-1 व R-2 अकिंत कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। चौथे डिस्पोजल गिलास के घोल में संदिग्ध श्री रतन लाल खटीक भूतपूर्व सरपंच के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त धोवण का रंग गुलाबी होने से स्वतन्त्र गवाहान व उपस्थित हमराहीयान ने स्वीकार किया जाकर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क L-1 व L- 2 से अंकित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। चारों डिस्पोजल के गिलासों को गवाह श्री सुरेश चन्द्र से जलाकर नष्ट करवाये गयें । तदोपरान्त गवाह श्री सुरेश चन्द्र से टेबल पर रखी हुई रिश्वत राशि उठवाई जाकर उक्त राशि के समस्त नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनो गवाहान ने 500–500 रूपये के 480 नोट कुल 2,40,000/–रूपये होना बताया। जिस पर उक्त नोटो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटो से दोनो गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटो का हुबहु मिलान होना पाया गया। नोटो के नम्बरों को फर्द में अंकित किये गये । उक्त बरामद शुदा नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया । इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्रीं संजय सुखवाल सरपंच से परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत जाडाना से सम्बधित रिकार्ड उपलब्ध कराने बाबत् पूछा तो ग्राम सचिव चुनाव ड्यूटी में होना तथा रिकार्ड से सम्बन्धित कक्ष की चाबी ग्राम सचिव के पास होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप प्रकरण में वान्छित परिवादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का रिकार्ड प्राप्त करने हेतु पृथक से पत्र जारी कर रिकार्ड प्राप्त किया जावेगा, तथा संदिग्ध श्री रतन लाल खटीक भूतपूर्व सरपंच की भूमिका के सम्बन्ध में अनुसंधान में किया जावेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर कार्यालय ग्राम पंचायत जाडाना में बैठकर की गई । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरान्त समय करीब 05.50 पी.एम. पर चूंकि ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ के भवन में बिजली के बार–बार आने–जाने एवं ग्रामीणों की आस–पास भीड एकत्रित होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है इसलिये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अग्रिम लिखा–पढी हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ जाना उचित है तथा

संध्याकाल का समय हो जाने से आरोपी के रिहाईशी आवास की खाना तलाशी एवं घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तीब नही किया जा सकता है अतः श्री श्याम लाल हैड कानि0 को आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल के रिहाईशी आवास की निगरानी हेतु ग्राम जाडाना में ही छोडकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाह डॉ. मनोज पुरोहित, श्री सुरेश चन्द्र रैगर मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, श्री सुनिल कुमार कानि0, चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा जब्त शुदा सिलचिट बन्द धोवन की शिशियां एवं सिल्ड्शुदा रिश्वत राशि 2,40,000 रूपये लेकर एवं श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल एवं श्री रतन लाल खटीक को हमराह लेकर सरकारी वाहन टवेरा व निजी मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ । इसके बाद समय करीब 06.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर जब्त शुदा समस्त आर्टिकल्स को श्री सुनिल कुमार कानि0 से सुरक्षित सरकारी आलमारी में रखवाये गये तथा मालखाना इंचार्ज श्री श्याम लाल हैड कानि0 के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आने पर नियमानुसार मालखाना आर्टिकल्स सुपुर्द किये जावेगें । तत्पश्चात् दोनो आरोपीगण श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल एवं श्री रतन लाल खटीक को कार्यालय में निगरानी में बैठाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

इसके पश्चात् समय करीब 07.30 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 09.11.2023 को 10.58 एएम पर ग्राम जाडाना में परिवादी श्री दिनेश तिवाडी के घर के सामने सरकारी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय प्लाटींग की हुई है वंहा पर हुई रूबरू वार्ता, दिनाक 14.11.2023 को 01.51 पीएम एंव दिनाक 29.11.2023 को 02.54 पीएम पर ग्राम पंचायत जाडाना में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। उक्त मैमोरी कार्ड को सरकारी डीवीआर में लगा कर डिवीआर को सरकारी कंम्पयुटर से कनेक्ट कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की चार सीडी डब करवाई गई जिसमें एक सीडी न्यायालय, एक सीडी नमुना आवाज कार्यवाही हेतु, एक सीडी आरोपी हेतु, एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु कानि मान सिहं कानि0 से डब करवाई गई। उक्त चार सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आई.ओ. सीडी को खुला रखा गया शेष तिन सीडीयो को अलग अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 08.15 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 09.11.2023 को 10.58 एएम पर ग्राम जाडाना में परिवादी श्री दिनेश तिवाडी के घर के सामने सरकारी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय प्लाटींग की हुई है वंहा पर हुई रूबरू वार्ता, दिनाक 14.11.2023 को 01.51 पीएम एंव दिनाक 29.11.2023 को 02.54 पीएम पर ग्राम पंचायत जाडाना में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। जो कि मुल वार्ता सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को मान सिहं कानि द्वारा सरकारी कम्पयुटर से कनेक्ट कर एक पेन ड्राईव मेटल (16 जी.बी) ADATA कम्पनी का, उक्त तीनो वार्ताओं को पेन ड्राईव में लिया जाकर उक्त पेन ड्राईव को सफेद कपडे की थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 08.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौडगढ को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के पत्रांक 2225 दिनांक 01.12.2023 जारी कर परिवादी श्री दिनेश तिवाडी तथा श्री संजय सुखवाल सरपंच एवं श्री रतन लाल खटीक पूर्व सरपंच द्वारा आपस में एक दुसरे के विरूद्व दर्ज करवाये गये प्रकरणों से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रमाणित छायाप्रतियां ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं पत्रांक 2226 दिनांक 01.12.2023 जारी कर श्री संजय सुखवाल सरपंच एवं

श्री रतन लाल खटीक पूर्व सरपंच की क्रिमिनल हिस्ट्री भिजवाने हेतु लिखा जाकर प्रेषित किया गया ।

इसके उपरान्त समय करीब 09.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की उपस्थिति में दिनांक 01.12.2023 को समय करीब 04.10 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ एवं श्री रतन लाल खटीक, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ से रिश्वत राशि लेन–देन के दौरान आमने–सामने रूबरू, कार्यालय ग्राम पंचायत जाडाना पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद **समय करीब 10.00 पी.एम. पर** उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 09.11.2023 को 10.58 एएम पर ग्राम जाडाना में परिवादी श्री दिनेश तिवाडी के घर के सामने सरकारी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय प्लाटींग की हुई है वंहा पर हुई रूबरू वार्ता, दिनाक 14.11.2023 को 01.51 पीएम एंव दिनाक 29.11.2023 को 02.54 पीएम पर ग्राम पंचायत जाडाना में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। जो कि मुल वार्ता सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त मूल मेमोरी कार्ड (ADATA कम्पनी के 32 जी.बी. मेमारी कार्ड बरंग काला व गुलाबी) को डिवीआर से निकालकर एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम." अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

इसके पश्चात् समय करीब 10.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल पुत्र श्री श्याम लाल सुखवाल उम्र 38 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ हाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ को परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से कुल राशि 2,40,000 रूपये की रिश्वत राशि लिये जाने के उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत कराया जाकर हस्बकायदा गिरफतार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके भाई श्री राजेन्द्र सुखवाल को जरिये मोबाईल दी गई । फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल की गिरफ्तारी की सूचना उससे सम्बन्धित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला चित्तौडगढ के नाम पत्र जारी कर पृथक से प्रेषित किया गया ।

इसके पश्चात् समय करीब 10.30 पी.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक दिनांक 01.12.2023 को समय 04.10 पीएम पर ग्राम पंचायत जाडान में हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड रिकार्ड किया गया था। जो कि मुल वार्ता सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को सरकारी कम्पयुटर से कनेक्ट कर रिश्वत लेन देन वार्ता की चार सीडीया डब करवाई गई एक सीडी न्यायालय , एक सीडी नमुना आवाज कार्यवाही हेतु, एक सीडी आरोपी हेतु, एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु कानि मान सिहं कानि0 से तैयार करवाई गई। उक्त चार सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आई ओ सीडी को खुला रखा गया शेष तीन सीडीयो को सफेंद कपडे की सफेद थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 11.00 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की उपस्थिति में, उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही मे आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक दिनांक 01.12.2023 को समय 04.10 पीएम पर ग्राम पंचायत जाडान में हुई रिश्वत

राशि लेन–देन वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था। जो कि मुल वार्ता सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त डिवीआर को मान सिहं कानि द्वारा सरकारी कम्पयुटर से कनेक्ट कर एक पेन ड्राईव मेटल (16 जी.बी) ADATA कम्पनी का, उक्त तीनो वार्ताओं कों पेन ड्राईव में लिया जाकर उक्त पेन ड्राईव को सफेद कपडे की थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी.1" अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 11.30 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की उपस्थिति में, आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक दिनांक 01.12.2023 को समय 04.10 पीएम पर ग्राम पंचायत जाडान में हुई रिश्वत राशि लेन–देन रूबरू वार्ता को सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड रिकार्ड किया गया था जो कि मुल वार्ता सरकारी डिजिटल वॉइस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है। उक्त मूल मेमोरी कार्ड (ADATA कम्पंनी के 32 जी.बी. मेमारी कार्ड बरंग काला व गुलाबी) को डिवीआर से निकालकर एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "एम."1 अंकित कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । धारा 65बीं का प्रमाण पत्र तैयार कर शामील पत्रावली किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.55 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल पुत्र श्री श्याम लाल सुखवाल उम्र 38 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ हाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ से उसकी आवाज का नमूना चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया जिस पर उक्त पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया।

इसके उपरान्त दिनांक 02.12.2023 को समय करीब 12.35 ए.एम. पर श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 एवं श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ को जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर जरिये तहरीर देकर रवाना किया गया । तत्पश्चात् समय करीबं 12.50 ए.एम. पर श्री रतन लाल खटीक पूर्व सरंपच जाडाना के काका के लडके श्री मांगी लाल खटीक ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में हाजीर है श्री रतन लाल खटीक को श्री मांगी लाल खटीक के हमराह ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से सुरक्षित हालत में अपने निवास स्थान हेतु रूखसत किया गया । इसके बाद समय करीब 01.10 ए.एम. पर श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 एवं श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के साथ आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ का राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये। उक्त दोनो तहरीर को शामील कार्यवाही किया गया ।

इसके उपरान्त समय करीब 10.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही मेरे मोबाईल से श्री सुनिल कुमार कानि0 से रिश्वत राशि लेन–देन के ईशारे के पश्चात् मौके पर आरोपी श्री संजय सुखवाल के स्पष्टीकरण की विडियों रिकॉर्डिंग करवाई गई थी एवं मेरे मोबाईल से फर्द पेशकशी नोट की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स खींचे गये । उक्त फोटोग्राफ तैयार कर शामील पत्रावली किये गये एवं उक्त विडियों रिकॉर्डिंग को मेरे मोबाईल को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त मूल ही फाईल को एक पेन ड्राईव (16 जी.बी) ADATA कम्पनी का, उक्त वार्ता को पेन ड्राईव में लिया जाकर उक्त पेन ड्राईव को सफेद कपडे की थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क "पी.2" अंकित

कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय करीब 10.30 ए.एम. पर उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही मेरे मोबाईल से श्री सुनिल कुमार कानि0 से रिश्वत राशि लेन–देन के ईशारे के पश्चात् मौके पर आरोपी श्री संजय सुखवाल के स्पष्टीकरण की विडियों रिकॉर्डिंग करवाई गई थी एवं मेरे मोबाईल से फर्द पेशकशी नोट की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स खींचे गये । उक्त फोटोग्राफ तैयार कर शामील पत्रावली किये गये एवं उक्त विडियों रिकॉर्डिंग को मेरे मोबाईल को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त मूल ही फाईल की तीन डीवीडियां डब करवाई गई एक डीवीडि न्यायालय, हेतु, एक डीवीडि आरोपी हेतु, एक डीवीडि अनुसंधान अधिकारी हेतु कानि मान सिहं कानि0 से तैयार करवाई गई। उक्त तीनों सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आई ओ सीडी को खुला रखा गया शेष दो सीडीयो को सफेंद कपडे की सफेद थेली में रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही के फोटोग्राफ एवं विडियों रिकॉर्डिंग जो मेरे मोबाईल से की गई थी के सम्बन्ध में धारा 65बी. का प्रमाण पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया जाकर शामील पत्रावली किया गया ।

इसके उपरान्त समय करीब 11.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा श्री सुरजमल कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 को जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 को आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर लाने हेतु रवाना किया गया । तत्पश्चात् समय करीब 11.30 ए.एम. पर श्री सुरजमल कानि0 एवं श्री सुनिल कुमार कानि0 जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 मय आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर आरोपी को ब्यूरो कार्यालय की निगरानी में बैठाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच ने स्वेच्छा से पूर्व में ली गई 01 लाख रूपये की रिश्वत के सम्बन्ध में बताया कि उक्त रिश्वत राशि को मैनें मेरे भाई श्री राजेन्द्र सुखवाल एडवोकेट के पास सुरक्षित रखवाई गई है जो मैं आपको बरामद करवा सकता हूं जिस पर उक्त इत्तला पर धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की फर्द सूचना पृथक से तैयार की, आरोपी ने बताया कि मेरे भाई श्री राजेन्द्र सुखवाल से 01 लाख रूपये मैं मेरे मित्र श्री रतन लाल खटीक पूर्व सरपंच निवासी जाडाना से मंगवा लूंगा । इसके पश्चात् समय करीब 12.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री दिनेश तिवाडी मय जाप्ता श्री नेमीचन्द ए.एस.आई तथा श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय स्टेशनरी मय पत्रावली जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 के हमराह वक्त घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने एवं आरोपी श्री संजय सुखवाल के रिहाईशी आवास की खाना तलाशी लेने हेतु ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ । इसके उपरान्त समय करीब 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा कार्यालय ग्राम पंचायत जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दिनेश तिवाडी की निशांदेही से घटनास्थल का फर्द नक्शा मौका तैयार किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवायें तथा बाद नक्शा मौका घटनास्थल से फारीख हो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता आरोपी के रिहाईशी आवास की खाना तलाशी लेने हेतु घटनास्थल से रवाना हुआ । इसके पश्चात् समय करीब 02.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मय हमराहीयान ग्राम जाडाना स्थित आरोपी के रिहाईशी आवास पर पहूंचा जहां पर आवास के बाहर श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 उपस्थित मिला । ग्रामीण नागरिको ने बताया कि जो आपने कार्यवाही की है इसके लिये ब्यूरो का बहुत–बहुत धन्यवाद और बताया कि, सरपंच श्री संजय सुखवाल ने जो गरीब श्री दिनेश तिवाडी से जो 01 लाख रूपये लिये है वह इसके घर में ही है तथा ब्यूरो का समस्त स्टाफ ट्रेप कार्यवाही

में व्यस्त होने से तथा मैं स्वयं इस कार्यवाही में व्यस्त होने से उदयपुर जाकर वारन्ट प्राप्त किया जाना सम्भव नही होने से ऐसी स्थिति में धारा 165 सी.आर.पी. सी. के प्रावधानों के तहत् तलाशी लिया जाना उचित रहेगा नही तो इन रूपये के खुर्द–बुर्द की संभावना है । पुलिस उप अधीक्षक गंगरार से महिला कानि0 श्रीमती निर्मला कानि0 नम्बर 964 एवं श्री कालूराम कानि0 पुलिस थाना गंगरार भी मौके पर मदद के लिये उपस्थित है । आरोपी के पिता की तबियत खराब होने से वह चित्तौडगढ डॉ. को दिखाने गये हुए है आरोपी के मित्र श्री बबलू पारीक मौके पर उपस्थित है । आरोपी की पत्नि श्रीमती रतन भी उपस्थित है जिसको हमराह लेकर आवास में प्रवेश कर आरोपी के रिहाईशी आवास की नियमानुसार तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तीब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । मौके से कोई भी वस्तु/दस्तावजात् जब्त नही किये गये । फर्द की कॉपी निशुल्क मौके पर दी गई । आरोपी के निवासी स्थान की फोटोग्राफी की गई जिसकी प्रिन्ट निकलवाकर शामील पत्रावली की गई । तत्पश्चात् समय करीब 04.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री दिनेश तिवाडी मय जाप्ता श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय स्टेशनरी मय पत्रावली जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 के आरोपी के रिहाईशी आवास की बाद खाना तलाशी के फारीख होकर ग्राम जाडाना से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ । इसके बाद समय करीब 04.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का ग्राम जाडाना से रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर आरोपी श्री संजय सुखवाल को निगरानी में बैठाया गया । दौराने ट्रेप कार्यवाही वजह समस्त जप्त शुदा धोवन की शिशियां, सिलचिट बन्द रिश्वत राशि, सीडीयां, डीविडी, पेन ड्राईव, मेमोरी कार्ड इत्यादि समस्त मालखाना आर्टिकल्स को कार्यालय की सरकारी अलमारी से श्री सुनिल कुमार कानि0 से निकलवाया जाकर श्री श्याम लाल शर्मा मालखाना इंचार्ज को जमा मालखाना करने हेतु सुरक्षित हालत मे सुपुर्द किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 05.30 पी.एम. पर आरोपी श्री संजय सुखवाल का मित्र श्री रतन लाल, खटीक पूर्व सरपंच निवासी ग्राम जाडाना तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ 01 लाख रूपये की राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया है तथा पूछने पर बताया कि उक्त 01 लाख रूपये की राशि मैं श्री संजय सुखवाल के भाई श्री राजेन्द्र सुखवाल एडवोकेट के पास से लेकर आया हूं जिसके बारे में आज मुझे श्री संजय सुखवाल ने लाने हेतु कहा था । आरोपी श्री संजय सुखवाल ने बताया कि यह वो राशि है जो मैंने श्री दिनेश तिवाडी से दिनांक 14.11.2023 को 40000 रूपये एवं दिनांक 29.11.2023 को 60000 रूपये पूर्व में रिश्वत राशि के रूप में लिये थे जिसकी मैंनें मौके की कार्यवाही के दौरान भी स्वीकार किया तथा आज सुबह स्वैच्छा पूर्वक उक्त राशि को बरामद कराने हेतु आपको सूचना दी थी । उक्त 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि ट्रेप कार्यवाही में वांछित होने से जरिये फर्द जुदा गाना जब्त की जाकर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष वजह सबूत कब्जे ब्यूरो ली गई । फर्द जब्ती पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामील पत्रावली की गई । तत्पश्चात् समय करीब 07.30 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री मान सिंह कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ एवं को मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयुपर के लिये रवाना किया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल, सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से उसके कब्जे शुदा प्लॉट का पट्टा देने की एवज में कुल 3,40,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 07.11.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.11.2023, 14.11.2023 एवं 29.11.2023 को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 09.11.2023 को सत्यापन वार्ताओं के दौरान आरोपी श्री संजय

सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ द्वारा परिवादी श्री दिनेश तिवाडी से उसके कब्जे शुदा प्लॉट का पट्टा देने की एवज में कुल 3,40,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई तथा पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2023 को 40,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त करना तथा पुनः रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 29.11.2023 को 60,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त की गई तथा शेष रिश्वत राशि बाद में देना तय हुआ तथा आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच द्वारा परिवादी को यह भी कहना कि यदि वह शेष रिश्वत राशि 2,40,000 रूपये नही देगा तो उसके कब्जे शुदा प्लाट का कब्जा हटवाकर किसी ओर को उक्त प्लॉट का कब्जा दे दूंगा । इस प्रकार दिनांक 14.11.2023 एवं 29.11.2023 को दोनो दिनांकों में कुल (40000+60000=100000) 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त करना एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 01.12.2023 को शेष 2,40,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है । उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित संदिग्ध श्री रतन लाल खटीक, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ की भूमिका के सम्बन्ध में अनुसंधान के दौरान जांच की जावेगी । श्री संजय सुखवाल सरपंच से 2,40,000 रूपये मौके से तथा 01 लाख रूपये की रिश्वत राशि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत् बरामद किये जा चुके है । इस प्रकार कुल रिश्वत राशि 3,40,000 रूपये को बरामद कर लिये गये है ।

इस प्रकार आरोपी श्री संजय सुखवाल सरपंच ग्राम पंचायत जाडाना पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री संजय सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल पुत्र श्री श्याम लाल सुखवाल उम्र 38 साल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जाडाना, तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ हाल सरपंच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय कुमार सुखवाल उर्फ संजू सुखवाल पुत्र श्री श्याम लाल सुखवाल, हाल संरपच, ग्राम पंचायत जाडाना, पंचायत समिति राशमी जिला चित्तौडगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 301/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

03/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः–3111–14

दिनांकः–03.12.2023

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या–1 उदयपुर।
2. निदेशक, ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।